संo:992/XXIV-A-1/2021–15/2011 Vol-I

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सभापति(उ0वि0शि0प0)/निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 09 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2021

विषयः– उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) प्रथम एवं द्वितीय, 2021 के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–अकादमिक/3207–09/यू0टी0ई0टी0 2021/201–22, दिनांक 30.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह मई व जून, 2021 में कोविड कर्फ्यू प्रभावी होने के कारण यू0टी0ई0टी0 परीक्षा का आयोजन शासनादेश संख्या–163/XXIV(1)/2016–15/2011, दिनांक 04.03.2016 द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार कराया जाना सम्भव नहीं होने के दृष्टिगत, उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु 02 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतएव उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त्, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह मई व जून, 2021 में प्रभावी कोविड कर्फ्यू को दृष्टिगत् रखते हुए, यू0टी0ई0टी0 परीक्षा, 2021 के आयोजन हेतु 02 माह का अतिरिक्त समय इस शर्त व प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किया जाता है कि उक्त परीक्षा को प्रत्येक दशा में माह नवम्बर, 2021 के अंत तक आयोजित कराते हुए, तद्नुसार परीक्षा का परिणाम भी अतिशीघ्र घोषित किया जाये। उक्त अतिरिक्त समय कोविड–19 से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रदान किया जा रहा है तथा भविष्य में उक्त परीक्षा का आयोजन शासनादेश दिनांक 04.03.2016 के अनुसार ही किया जाये।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः / /XXIV-A-1/2021–15/2011 Vol-I, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।